अनुशासनिक कार्यवाही (Day 1)

(उत्तराखंड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2003)

प्रस्तुति
राजेश मेहतानी

निदेशक (से. नि.)
सेण्टर फॉर एक्सीलेंस एंड ट्रेनिंग
उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद
इंदिरा नगर, लखनऊ

सरकारी सेवकों से यह अपेक्षित होता है कि वह अपने कर्तव्य एवं उत्तरदायित्वों का निष्ठापूर्वक एवं पूर्ण मनोयोग से निर्वहन करें तथा सरकार द्वारा बनाये गये नियमों एवं दिये गये निर्देशों का सम्यक अनुपालन करें। नियमों एवं व्यवस्था का सम्यक अनुपालन ही अनुशासन कहलाता है। अनुशासन बनाये रखने के लिए यह आवश्यक होता है कि अनुशासन भंग करने वालों को दण्डित किया जाय। दण्ड देने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उसे ही अनुशासनिक कार्यवाही कहा जाता है।

संवैधानिक प्राविधान

सरकारी सेवकों पर सरकार का नियंत्रण

- संविधान के अनुच्छेद 310 के अनुसार राज्य सरकार का कोई सेवक राज्यपाल के प्रसाद (Pleasure) पर्यन्त ही अपने पद पर बना रह सकता है। इसका तात्पर्य यह है कि सरकार द्वारा अपने किसी सेवक को कभी भी पद से हटाया जा सकता है।

- किसी सरकारी सेवक का पूरा समय सरकार के अधीन होता है और सक्षम अधिकारी द्वारा उसे किसी भी समय किसी भी रूप में नियोजित किया जा सकता है, जिसके लिए वह किसी अतिरिक्त पारिश्रमिक का दावा नहीं कर सकता। (मूल नियम 11)

- सरकारी सेवक से अपने कर्तव्यों के प्रति निष्ठा एवं अनुशासन अपेक्षित होता है।

सरकारी सेवकों पर सरकार का नियंत्रण

- सरकारी कर्मचारियों के आचरण को विनियमित करने के लिए सरकारी आचरण नियमावली बनायी गई है।

- कर्तव्यों के प्रति निष्ठा के भंग होने, आचरण नियमावली का उल्लंघन करने (दुराचरण/ कदाचार) अथवा अनुशासनहीनता के लिए नियमों में दंड की व्यवस्था है और उसे लागू करने के लिए अनुशासनिक कार्यवाही की व्यवस्था है।

सरकारी सेवकों को संरक्षण (Protection)

संविधान के अनुच्छेद 310 के अन्तर्गत सरकार को प्राप्त अधिकारों पर अनुच्छेद 311 द्वारा कतिपय प्रतिबन्ध लगाये गये हैं और सरकारी सेवकों को पद से हटाने/दण्डित करने के लिए कुछ शर्तें लागू की गयी हैं: -

1. अनुच्छेद 311(1) के अनुसार किसी सरकारी कर्मचारी को उसकी नियुक्ति करने वाले प्राधिकारी के अधीनस्थ (अर्थात उसके नीचे के) किसी प्राधिकारी द्वारा पदच्युत (Dismiss) नहीं किया जायेगा या हटाया (Remove) नहीं जायेगा।

2. अनुच्छेद 311(2) के अनुसार किसी सरकारी सेवक को केवल ऐसी जाँच के पश्चात ही पदच्युत (Dismiss) किया जायेगा अथवा पद से हटाया जायेगा (Remove) या पदावनत (Reduction in rank) किया जायेगा जिसमें कि उसे आरोपों की सूचना दे दी गयी हो तथा उन आरोपों के संबंध में सुनवाई का युक्तियुक्त (reasonable) अवसर दे दिया गया हो।

सरकारी सेवकों को संरक्षण (Protection)

अपवाद – परन्तु यह नियम निम्नलिखित मामलों में लागू नहीं होगा (अर्थात इन मामलों में उक्त दंड देने के लिए ऐसी जाँच आवश्यक नहीं होगी):-

(क) जहाँ Dismissal, Removal या Reduction in rank का दंड ऐसे आचरण के लिए दिया जाता है, जिसके लिए उसे न्यायालय द्वारा दोषी पाया गया हो/ सजा दी गई हो।

सरकारी सेवकों को संरक्षण (Protection)

(ख) जब सक्षम अधिकारी इस बात से आश्वस्त हों कि कर्मचारी के विरुद्ध जाँच कार्यवाही की औपचारिकता पूर्ण करना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है (इस आशय का आधार लिखित रूप में उल्लिखित किया जायेगा)

सरकारी सेवकों को संरक्षण (Protection)

(ग) जब राज्यपाल इस बात से संतुष्ट हों कि कर्मचारी के विरुद्ध जाँच राज्य की सुरक्षा के हित में नहीं है। {संविधान का अनुच्छेद – 311 (2)}

नोट :- यदि किसी सरकारी सेवक को अधीनस्थ न्यायलय द्वारा किसी आपराधिक आरोप के आधार पर दण्डित कर दिया जाता है तथा सम्बंधित कर्मचारी ने अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय या अन्य किसी न्यायालय में अपील दायर कर दी है तो अपील समाप्त होने की प्रतीक्षा किए बिना सम्बंधित सरकारी को डिसमिस या रिमूव किया जा सकता सकता है। यदि अपील में सरकारी सेवक दोषमुक्त हो जाता है तो अपील के निर्णय के पहले उसे डिसमिस या रिमूव करने की जो कार्यवाही की गई है, वह रद्द मानी जायेगी।

अनुशासननिक कार्यवाही के विभिन्न चरण

प्रारम्भिक जाँच (Preliminary Enquiry)

यह एक तथ्यान्वेषी जाँच (Fact finding enquiry) होती है, जिसमें उक्त वर्णित अनियमितता के बारे में औपचारिक जाँच के पहले तथ्यों की छानबीन और साक्ष्यों को एकत्र करने का कार्य किया जाता है। औपचारिक जाँच के लिए आरोप-पत्र गठित करने के उद्देश्य से सामान्यतः प्रारम्भिक जाँच किये जाने की आवश्यकता पड़ती है परन्तु प्रत्येक मामले में प्रारम्भिक जाँच कराया जाना अनिवार्य नहीं है।

जिन मामलों मे अनियमितता प्रकाश में आने के साथ ही उसके बारे में पर्याप्त तथ्य व साक्ष्य उपलब्ध हो जाते हैं उनमें ऐसी प्रारम्भिक जाँच की आवश्यक्ता नहीं पड़ती है। ऐसा उन मामलों में हो सकता है जिनमें आडिट अथवा विभागीय निरीक्षण के दौरान ही अनियमितता के बारे में पर्याप्त जानकारी उपलब्ध हो जाए।

प्रारम्भिक जाँच की आवश्यकता होने पर इसे निम्नलिखित अथवा अन्य किसी माध्यम से कराया जा सकता है -

- विभागीय अधिकारी
- सतर्कता विभाग
- गुप्तचर विभाग
- विभागों में गठित तकनीकी सेल
- जाँच समिति

प्रारम्भिक जाँच आख्या का परीक्षण करके यह निर्णय लिया जाना कि औपचारिक जाँच कराई जाय अथवा मामला समाप्त कर दिया जाय। गबन, धोखाधड़ी या अन्य आपराधिक कृत्य का सन्देह होने पर, एफ.आई.आर. दर्ज कराया जाना चाहिए तथा डी.एम. को सूचना देनी चाहिए और डी.जी.सी. (क्रिमिनल) से परामर्श लेकर आवश्यक आपराधिक कार्यवाही की जानी चाहिए। (वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड पाँच भाग 1 प्रस्तर 82 तथा परिशिष्ट 19 ख)

सरकारी धन का गबन या दुर्विनियोजन आदि होने पर दोषी सरकारी सेवक के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही में शासकीय धन की क्षति की सम्पूर्ण वसूली किये जाने हेतु प्रथम चरण में ही सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित कर दिया जाए कि सम्पूर्ण धन की क्षति की वसूली सम्भव है अथवा नहीं।

यदि यह सम्भव न हो तो तत्परता से सक्षम न्यायालय के माध्यम से उस सरकारी सेवक से सिविल लायबिलिटी के रूप में उक्त हानि की धनराशि वसूल करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

यदि औपचारिक जाँच कराया जाना उचित पाया जाता है तो यह निश्चित करना कि जाँच केवल स्पष्टीकरण माँग कर की जाए (ऐसा करके केवल लघु शास्ति आरोपित की जा सकती है) अथवा विधिवत आरोप पत्र देकर (ऐसा करके कोई भी दण्ड दिया जा सकता है)।

यदि केवल स्पष्टीकरण माँगना है (अर्थात केवल लघु शास्ति है) तो अलग से जाँच अधिकारी की नियुक्ति किए बिना सक्षम अधिकारी द्वारा ही अपचारी कर्मचारी से सीधे स्पष्टीकरण माँग कर लघु शास्ति आरोपित की जा सकती है।

शास्तियाँ (Penalties)

नियम 3

लघु शास्तियाँ

1. परिनिन्दा (Censure)
2. किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए वेतन वृद्धि रोकना
3. आदेशों की उपेक्षा या उल्लंघन करने के कारण सरकार को हुई आर्थिक हानि को पूर्णतः या अंशतः वेतन से वसूल किया जाना।
4. समूह घ के पदों को धारण करने वाले व्यक्तियों के मामले में जुर्माना, परन्तु ऐसे जुर्माने की धनराशि किसी भी स्थिति में, उस माह के वेतन के, जिसमें जुर्माना अधिरोपित किया गया हो, पच्चीस प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

दीर्घ शास्तियाँ

1. संचयी प्रभाव (स्थायी प्रभाव) के साथ वेतन वृद्धि रोकना।
2. किसी निम्नतर पद या श्रेणी (Grade) या समयमान वेतनमान में अवनति अथवा किसी समयमान वेतनमान में किसी निम्नतर प्रकम (Lower Stage) पर अवनति
3. सेवा से हटाना (Removal) जो भविष्य में नियोजन (Employment) के लिए निरर्हित (Disqualify) न करता हो।
4. सेवा से पदच्युति (Dismissal), जो भविष्य में नियोजन के लिए निरर्हित करता हो।

अपवाद - निम्नलिखित को दण्ड नहीं माना जाता है

1. किसी विभागीय परीक्षा में विफल रहने पर अथवा सेवा नियमों के अनुसार किसी अन्य शर्त को पूरा करने में विफल रहने पर वेतन वृद्धि का रोकना।

2. परिवीक्षा अवधि के दौरान या उसके समाप्त होने पर (परिवीक्षा में सेवा संतोषजनक न पाये जाने पर) सेवा नियमों के अनुसार सेवा में प्रतिवर्तन (Reversion)

3. परीवीक्षा पर नियुक्त किसी व्यक्ति की परिवीक्षा अवधि के दौरान या उसकी समाप्ति पर सेवा से निबंधन या ऐसी परिवीक्षा को शासित करने वाले नियमों और आदेशों के अनुसार सेवा पर्यवसयन।

अनुशासनिक प्राधिकारी

नियम 6

किसी सरकारी सेवक का नियुक्ति प्राधिकारी उसका अनुशासनिक प्राधिकारी होगा जो इस नियमावली के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए उस पर नियम-3 में विनिर्दिष्ट शास्तियों में से कोई शास्ति अधिरोपित कर सकेगा।

प्रतिबन्ध यह है कि किसी व्यक्ति को किसी ऐसे प्राधिकारी द्वारा जो उसके अधीनस्थ हो जिसके द्वारा उसकी वास्तविक रूप में नियुक्ति की गयी थी, पदच्युति या सेवा से हटाया नहीं जायेगा।

नियम 6

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि उत्तराखंड श्रेणी 2 सेवा (लघु शास्तियों का आरोपण) नियमावली, 2002 के अधीन अधिसूचित विभागाध्यक्ष इस नियमावली के उपबन्धों के अधीन रहते हुए इस नियमावली के नियम 3 में उल्लिखित लघु शास्तियाँ अधिरोपित करने के लिए सशक्त होगा।

नियम 6

प्रतिबन्ध यह भी है कि इस नियमावली के अधीन राज्य सरकार अधिसूचित आदेश द्वारा समूह ग और घ के पदों के किसी सरकारी सेवक के मामले में पदच्युत या सेवा से हटाये जाने के सिवाय किसी भी शास्ति को अधिरोपित करने की शक्ति को नियुक्ति प्राधिकारी के अधीनस्थ किसी प्राधिकारी को ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जैसी उसमें विहित की जायें प्रत्यायोजित कर सकती है।

निलम्बन

नियम 4

(एक) कोई सरकारी सेवक जिसके आचरण के विरुद्ध कोई जांच अनुध्यात है या उसकी कार्यवाही चल रही है नियुक्ति प्राधिकारी के विवेक पर जांच की समाप्ति के लम्बित रहने तक, निलम्बन के अधीन रखा जा सकता सकेगा। निलम्बन आदेश में इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया जायेगा कि संबंधित कार्मिक के विरुद्ध अभिकथन इतने गम्भीर हैं कि उनके स्थापित हो जाने की दशा में दीर्घ शास्ति दी जा सकती है।

प्रतिबन्ध यह है कि निलम्बन तब तक नहीं करना चाहिए जब तक कि सरकारी सेवक के विरुद्ध अभिकथन इतने गम्भीर न हों कि उनके स्थापित हो जाने की दशा में सामान्यतः दीर्घ शास्ति का समुचित आधार हो सकता हो।

नियम 4

परन्तु यह और भी कि राज्यपाल द्वारा इस निमित्त जारी आदेश द्वारा सशक्त सम्बन्धित विभागाध्यक्ष समूह क और ख पदों के सरकारी सेवक या सरकारी सेवकों के वर्ग को इस नियम के अधीन निलम्बित कर सकेगा।

परन्तु यह और कि समूह ग और घ के पदों के किसी सरकारी सेवक या सरकारी सेवकों के वर्ग के मामले में नियुक्ति प्राधिकारी अपनी शक्ति इस नियम के अधीन अपने ठीक निम्नतर प्राधिकारी को प्रत्यायोजित कर सकेगा।

नियम 4

(दो) कोई सरकारी सेवक जिसके सम्बन्ध में या जिसके विरुद्ध किसी आपराधिक आरोप से सम्बन्धित कोई अन्वेषण जाँच या विचारण जो सरकारी सेवक के रूप में उसकी स्थिति से सम्बन्धित है या जिससे उसके कर्तव्यों के निर्वहन करने में संकट उत्पन्न होने की सम्भावना हो या जिसमें नैतिक अधमता अन्तर्ग्रस्त है, लम्बित हो नियुक्ति प्राधिकारी या ऐसे प्राधिकारी द्वारा, जिसे इस नियमावली के अधीन निलम्बित करने की शक्ति प्रत्यायोजित की गयी हो, उसके विवेक पर तब तक निलम्बित रखा जा सकेगा जब तक कि उस आरोप से सम्बन्धित समस्त कार्यवाहियाँ समाप्त न हो जाये।

विनियम 4

(तीन) (क) कोई सरकारी सेवक यदि वह अड़तालीस घंटे से अधिक की अवधि के लिए न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध किया गया हो, चाहे निरोध आपराधिक आरोप पर या अन्यथा किया गया हो निलंबित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के आदेश द्वारा निरोध के दिनांक से यथास्थिति निलम्बन के अधीन रखा गया या निरन्तर रखा गया समझा जायेगा।

विनियम 4

(तीन) (ख) उपर्युक्त सरकारी सेवक अभिरक्षा से निर्मुक्त किये जाने के पश्चात अपने निरोध के बारे में सक्षम प्राधिकारी को लिखित रूप में सूचित करेगा और समझे गये निलम्बन के विरुद्ध अभ्यावेदन भी कर सकेगा। सक्षम प्राधिकारी मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के साथ-साथ इस नियम में दिये गये उपबंधों के प्रकाश में अभ्यावेदन पर विचार करने के पश्चात अभिरक्षा से निर्मुक्त होने के दिनांक से समझे गये निलम्बन को जारी रखने या उसका प्रतिसंहरण या उपान्तरण करने के लिए समुचित आदेश पारित करेगा।

विनियम 4

(चार) कोई सरकारी सेवक उसके सिद्धदोष ठहराये जाने के दिनांक से, यदि किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराये जाने के कारण उसे अड़तालीस घण्टे से अधिक अवधि के कारावास की सजा दी गई है और उसे ऐसे किसी सिद्धदोष के फलस्वरूप तत्काल पदच्युत नहीं किया गया है या हटाया नहीं गया है, तो इस विनियमावली के अधीन निलम्बन के लिए सक्षम प्राधिकारी के किसी आदेश से, यथास्थिति, निलम्बन के अधीन रखा गया या निरन्तर रखा गया समझा जायेगा।

स्पष्टीकरण - इस उपनियम में निर्दिष्ट अड़तालीस घण्टे की अवधि की गणना सिद्धदोष ठहराये जाने के पश्चात और इस प्रयोजन के लिए कारावास की आन्तरायिक कालावधियों को, यदि कोई हों, ध्यान में रखा जायेगा।

नियम 4

(पांच) जहां किसी सरकारी सेवक पर अधिरोपित पदच्युति या सेवा से हटाये जाने की शास्ति को इस विनियमावली के अधीन अपील में या पुनर्विलोकन में अपास्त कर दिया जाये और मामले की अग्रतर जांच या कार्यवाही के लिए किसी अन्य निर्देशों के साथ प्रेषित कर दिया जाये वहां

(क) यदि वह शास्ति दिये जाने के ठीक पूर्व निलम्बन के अधीन था, तो उसके निलम्बन के आदेश को, उपर्युक्त किन्हीं ऐसे निर्देशों के अध्यधीन रहते हुए, पदच्युति या हटाने के मूल आदेश के दिनांक को और से, निरन्तर प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

नियम 4

(पांच) (ख) यदि वह निलम्बन के अधीन नहीं था, तो यदि उसे अपील या पुनरीक्षण करने वाले प्राधिकारी द्वारा इस प्रकार निदेशित किया जाये, पदच्युति या हटाने के मूल आदेश को और से, नियुक्ति प्राधिकारी के आदेश से निलम्बन के अधीन रखा गया समझा जायेगा।

नियम 4

प्रतिबन्ध यह है कि इस उप-नियम में किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि वह ऐसे मामले में जहां, किसी सरकारी सेवक पर पदच्युत या सेवा से हटाये जाने की अधिरोपित शास्ति को इस विनियमावली के अधीन किसी अपील या पुनरीक्षण में, उन अभिकथनों के, जिन पर शास्ति अधिरोपित की गयी थी, गुणों से भिन्न आधार पर अपास्त कर दिया गया हो, किन्तु मामले की अग्रतर जांच या कार्यवाही के लिए या किन्हीं अन्य निदेशों के साथ प्रेषित कर दिया गया हो, उन अभिकथनों पर उसके विरुद्ध अग्रेतर जांच लंबित रहते हुए निलम्बन आदेश, इस प्रकार कि उसका भूतलक्षी प्रभाव नहीं होगा, पारित करने की अनुशासनिक प्राधिकारी की शक्ति को प्रभावित करता है।

नियम 4

(छः) जहां किसी सरकारी सेवक पर आधिरोपित पदच्युति या सेवा से हटाने की शास्ति को किसी विधि न्यायालय के विनिश्चय या परिणाम स्वरूप अपास्त कर दिया जाय या शून्य घोषित कर दिया और नियुक्ति प्राधिकारी मामले की परिस्थितियों पर विचार करने पर, उसके विरुद्ध उन अभिकथनों, जिन पर पदच्युति या सेवा से हटाने की शास्ति मूलरूप में अधिरोपित की गई थी, अग्रेतर जांच करने का विनिश्चय करता हो चाहे वे अभिकथन अपने मूल में रहें या उन्हें स्पष्ट कर दिया जाये या उनके विवरणों को और अच्छी तरह विनिर्दिष्ट कर दिया जाय या उनके किसी छोटे भाग का लोप कर दिया जाये, वहां:

नियम 4

(छः) (क) यदि वह शास्ति दिये जाने के ठीक पूर्व निलम्बन के अधीन था, तो उसके निलम्बन के आदेश को नियुक्ति प्राधिकारी के किसी निदेश के अध्यधीन रहते हुए पदच्युति या सेवा से हटाने के मूल आदेश के दिनांक को और से निरन्तर प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

(ख) यदि वह निलम्बन के अधीन नहीं था तो उसे यदि नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा इस प्रकार निदेशित किया जाये, "पदच्युति" या "सेवा से हटाने" के मूल आदेश के दिनांक को और से सक्षम प्राधिकारी के किसी आदेश द्वारा निलम्बन के अधीन रखा गया समझा जायेगा।

नियम 4

(सात) जहां कोई सरकारी सेवक चाहे किसी अनुशासनिक कार्यवाही के संबंध में या अन्यथा निलम्बित कर दिया जाये या निलम्बित किया गया समझा जाये और कोई अन्य अनुशासनिक कार्यवाही उस निलम्बन के दौरान उसके विरुद्ध प्रारम्भ कर दी जाये, वहां निलम्बित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से यह निदेश दे सकेगा कि वह सरकारी सेवक तब तक निलंबित बना रहेगा जब तक ऐसी समस्त या कोई कार्यवाही समाप्त न कर दी जाये।

नियम 4

(आठ) इस नियम के अधीन दिया गया या दिया गया समझा गया या प्रवृत्त बना हुआ कोई निलम्बन आदेश तब तक प्रवृत्त बना रहेगा जब तक कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसे उपान्तरित (modified) या प्रतिसंहरण (revoked) न कर दिया जाये।

(नौ) इस नियम के अधीन निलम्बन के अधीन या निलम्बन के अधीन समझा गया कोई सरकारी सेवक फाइनेन्शियल हैण्ड बुक, खण्ड दो, भाग दो से चार के फण्डामेन्टल रूल-53 उपबन्धों के अनुसार उपादान भत्ता पाने का हकदार होगा।

निलम्बन अवधि में वेतन और भत्ते आदि

नियम 5

इस नियमावली के अधीन यथास्थिति विभागीय जांच या आपराधिक मामले के आधार पर आदेश पारित हो जाने के पश्चात संबंधित सरकारी सेवक के वेतन और भत्तों के बारे में विनिश्चय और उक्त अवधि को ड्यूटी पर बिताया गया माना जायेगा अथवा नहीं पर विचार करते हुए उक्त सरकारी सेवक को नोटिस देकर फाइनेन्शियल हैण्ड बुक, खण्ड दो, भाग दो से चार के नियम-54 के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर स्पष्टीकरण मांगने के पश्चात अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा किया जायेगा।

लघु शास्तियाँ आरोपित करने की प्रक्रिया

नियम 10

(एक) जहां अनुशासनिक प्राधिकारी का यह समाधान हो जाय कि ऐसी प्रक्रिया को अंगीकार करने के लिए समुचित और पर्याप्त कारण है, वहां वह उपनियम (दो) के अध्यधीन रहते हुए नियम - 3 में उल्लिखित एक या अधिक लघु शास्तियां अधिरोपित कर सकेगा।

नियम 10

(दो) सरकारी सेवक को उसके विरुद्ध अभ्यारोपणों का सार सूचित किया जायेगा और उससे एक युक्तियुक्त समय के भीतर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जायेगी। अनुशासनिक प्राधिकारी उक्त स्पष्टीकरण, यदि कोई हो, और सुसंगत अभिलेखों पर विचार करने के पश्चात ऐसे आदेश जैसा वह उचित समझता है, पारित करेगा और जहां कोई शास्ति अधिरोपित की जाय वहां उसके कारण दिये जायेंगे। आदेश सम्बधित सरकारी सेवक को संसूचित किया जायेगा।

दीर्घ शास्तियाँ आरोपित करने की प्रक्रिया

नियम 7

किसी सरकारी सेवक पर कोई शास्ति अधिरोपित करने के पूर्व निम्न रीति से जांच की जायेगी:-

(एक) जब कभी अनुशासनिक प्राधिकारी की यह राय हो कि किसी सरकारी सेवक के विरुद्ध अवचार या कदाचार के किसी लान्छन की सत्यता के बारे में जांच करने के लिए आधार हो तो वह जांच कर सकेगा।

नियम 7

(दो) अवचार के ऐसे तथ्यों को जिन पर कार्यवाही का किया जाना प्रस्तावित हो, निश्चित आरोप या आरोपों के रूप में रूपान्तरित किया जायेगा जिसे आरोप पत्र कहा जायेगा। आरोप पत्र सक्षम अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा।

प्रतिबन्ध यह है कि जहां नियुक्ति प्राधिकारी, राज्यपाल हों वहां आरोप पत्र सम्बन्धित विभाग के प्रमुख सचिव या सचिव द्वारा हस्ताक्षरित किया जा सकेगा।

नियम 7

(तीन) विरचित आरोप इतने संक्षिप्त और स्पष्ट होंगे, जिसमें आरोपित सरकारी सेवक के विरुद्ध तथ्यों और परिस्थितियों के पर्याप्त उपदर्शन हो सकें।

आरोप पत्र में प्रस्तावित दस्तावेजी साक्ष्यों और उसे सिद्ध करने के लिए प्रस्तावित गवाहों के नाम मौखिक साक्ष्यों के साथ, यदि कोई हों, आरोप पत्र में उल्लिखित किया जायेंगे।

नियम 7

(चार) आरोप पत्र, उसमें उल्लिखित दस्तावेजी साक्ष्यों की प्रति और साक्षियों की सूची और उनके कथन, यदि कोई हों, के साथ आरोपित सरकारी सेवक को व्यक्तिगत रूप से या रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा कार्यालय अभिलेखों में उल्लिखित पते पर तामील की जायेगी। उपर्युक्त रीति से आरोप पत्र तामील न कराये जा सकने की दशा में आरोप पत्र को व्यापक परिचालन वाले किसी दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशन द्वारा तामील कराया जायेगा।

प्रतिबन्ध यह है कि जहां दस्तावेजी साक्ष्य विशाल हों, वहां इसकी प्रति आरोप पत्र के साथ प्रस्तुत करने के बजाय, आरोपित सरकारी सेवक को निरीक्षण करने की अनुज्ञा दी जायेगी।

नियम 7

(पांच) आरोपित सरकारी सेवक से यह अपेक्षा की जायेगी कि वह किसी विनिर्दिष्ट दिनांक को जो आरोप पत्र के जारी होने के दिनांक से 15 दिन से कम नहीं होगा, व्यक्तिगत रूप से अपनी प्रतिरक्षा में एक लिखित कथन प्रस्तुत करे जिसमें वह स्पष्ट रूप से सूचित करे कि वह आरोपित पत्र में उल्लिखित सभी या किन्हीं आरोपों को स्वीकार करता है अथवा नहीं। आरोपित सरकारी सेवक से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह यह कथन करे कि आरोप-पत्र में उल्लिखित किसी साक्षी की प्रतिपरीक्षा करना चाहता है और क्या वह अपनी प्रतिरक्षा में लिखित तथा मौखिक साक्ष्य देना या प्रस्तुत करना चाहता है। उसको यह भी सूचित किया जायेगा कि विनिर्दिष्ट दिनांक को उसके उपस्थित न होने या लिखित कथन दाखिल न करने की दशा में यह उपधारणा की जायेगी कि उसके पास प्रस्तुत करने के लिए कुछ नहीं है और उसके विरुद्ध एक पक्षीय रूप से जांच कार्यवाही प्रचालित की जायेगी।

नियम 7

(छः) प्रतिरक्षा के लिखित कथन की प्राप्ति पर जहां सरकारी सेवक ने अपने लिखित कथन में आरोप-पत्र में उल्लिखित सभी आरोपों को स्वीकार कर लिया है, वहां अनुशासनिक प्राधिकारी ऐसी अभिस्वीकृति के दृष्टिगत यदि साक्ष्य की आवश्यकता समझे, तो ऐसा साक्ष्य जो वह ठीक समझे, लेने के पश्चात प्रत्येक आरोप के संबंध में अपने निष्कर्ष अभिलिखित करेगा और निष्कर्षों की एक प्रति आरोपित सरकारी सेवक को देगा और उससे उसका अभ्यावेदन, यदि वह ऐसा चाहता हो, एक युक्तियुक्त विनिर्दिष्ट समय के भीतर प्रस्तुत करने की अपेक्षा करेगा। अनुशासनिक प्राधिकारी, प्रत्येक आरोप के संबंध में अभिलिखित निष्कर्ष और आरोपित सरकारी सेवक के अभ्यावेदन से सम्बन्धित समस्त सुसंगत अभिलेखों को ध्यान में रखते हुए, यादि कोई हो, और इस नियमावली के नियम 16 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए इस नियमावली के नियम 3 में उल्लिखित एक या अधिक शास्तियाँ अधिरोपित करते हुए एक युक्तिसंगत आदेश पारित करेगा और उसे आरोपित सरकारी सेवक को संसूचित करेगा।

नियम 7

(सात) यदि सरकारी सेवक ने प्रतिरक्षा का कोई लिखित कथन पेश नहीं किया हो तो अनुशासनिक प्राधिकारी आरोपों की जाँच स्वयं कर सकेगा या यदि वह आवश्यक समझे तो उपनियम (8) के अधीन इस प्रयोजन के लिए जाँच अधिकारी नियुक्त कर सकेगा।

(आठ) अनुशासनिक प्राधिकारी, उन आरोपों की, जो सरकारी सेवक ने स्वीकार नहीं किये हैं, जाँच स्वयं कर सकेगा या यदि वह उचित समझे तो अपने अधीनस्थ किसी प्राधिकारी को इस प्रयोजन के लिए जाँच अधिकारी नियुक्त कर सकेगा जो कि यथासंभव आरोपित सरकारी सेवक के स्तर से कम से कम दो स्तर ऊपर का हो।

नियम 7

(नौ) जहाँ अनुशासनिक प्राधिकारी ने उपनियम (8) के अधीन जाँच अधिकारी नियुक्त किया है, वहाँ वह जाँच अधिकारी को निम्नलिखित भेजेगा अर्थात –

(क) आरोप पत्र और अवचार या कदाचार के विवरण की एक प्रति,

(ख) सरकारी सेवक द्वारा पेश किये गये प्रतिरक्षा के लिखित कथन की, यदि कोई हो, एक प्रति,

(ग) आरोप पत्र में निर्दिष्टि अभिलेखों का सरकारी सेवक को परिदान सिद्ध करने वाला साक्ष्य।

(घ) आरोप पत्र में निर्दिष्ट साक्ष्य के कथनों की, यदि कोई हो, एक प्रति।

नियम 7

(दस) अनुशासनिक प्राधिकारी अथवा जांच अधिकारी, जिसके द्वारा भी जाँच की जा रही हो, आरोप-पत्र में प्रस्तावित साक्षी को बुलाने की कार्यवाही करेगा और आरोपित सरकारी सेवक की उपस्थिति मे, जिसे ऐसे साक्षियों की प्रतिपरीक्षा का अवसर भी दिया जायेगा, उनके मौखिक साक्ष्य को अभिलिखित करेगा। उपर्युक्त साक्ष्य को अभिलिखित करने के पश्चात जाँच अधिकारी उस मौखिक साक्ष्य को मांगेगा और उसे अभिलिखित करेगा जिसे आरोपित सरकारी सेवक ने अपनी प्रतिरक्षा मे अपने लिखित कथन में प्रस्तुत करना चाहा था।

परन्तु ऐसे कारणों से जो लिखित रूप में अभिलिखित किये जायेंगे, किसी साक्षी को बुलाने से इन्कार किया जा सकेगा।

विनियम 7

(ग्यारह) अनुशासनिक प्राधिकारी अथवा जाँच अधिकारी, जिसके द्वारा भी जाँच की जा रही हो, उत्तर प्रदेश विभागीय जाँच (साक्षियों को हाजिर होने और दस्तावेज पेश करने के लिए बाध्य करना) अधिनियम, 1976 (जो उत्तराखण्ड राज्य में उ.प्र. पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 6 के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रभावी है), के उपबन्धों के अनुसार अपने समक्ष किसी साक्ष्य देने के लिए बुला सकेगा या किसी व्यक्ति से दस्वावेज प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगा।

विनियम 7

(बारह) अनुशासनिक प्राधिकारी अथवा जाँच अधिकारी जिसके द्वारा भी जाँच की जा रही हो, सत्य का पता लगाने या आरोपों से सुसंगत तथ्यों का उचित प्रमाण प्राप्त करने की दृष्टि से किसी भी समय, किसी साक्षी से या आरोपित व्यक्ति से कोई भी प्रश्न, जो वह चाहे पूछ सकता है।

विनियम 7

(तेरह) जहां आरोपित सरकारी सेवक जांच में किसी नियत दिनांक पर या कार्यवाही के किसी स्तर पर उसे सूचना तामील किये जाने या दिनांक की जानकारी रखने के बावजूद उपस्थित नहीं होता है, तो अनुशासनिक प्राधिकारी अथवा जांच अधिकारी, जिसके द्वारा भी जांच की जा रही हो, एक पक्षीय जांच की कार्यवाही करेगा और ऐसे मामले में आरोपित सरकारी सेवक की अनुपस्थिति में, आरोप-पत्र में उल्लिखित साक्षियो के कथन को अभिलिखिति करेगा।

विनियम 7

(चौदह) अनुशासनिक प्राधिकारी, यदि वह ऐसा करना आवश्यक समझता हो, आदेश द्वारा उसकी ओर से आरोप के समर्थन में मामले को प्रस्तुत करने के लिए किसी सरकारी सेवक या विधि व्यवसायी को जिसे प्रस्तुतकर्ता अधिकारी कहा जायेगा, नियुक्त कर सकता है।

विनियम 7

(पन्द्रह) आरोपित सरकारी सेवक अपनी ओर से मामले को प्रस्तुत करने के लिए किसी अन्य सरकारी सेवक की सहायता ले सकता है किन्तु इस प्रयोजन के लिए किसी विधि व्यवसायी की सेवा तब तक नहीं ले सकता जब तक कि अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा नियुक्त प्रस्तुतकर्ता अधिकारी कोई विधिक व्यवसायी न हो या अनुशासनिक प्राधिकारी ने मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, ऐसी अनुज्ञा न दे दी हो।

विनियम 7

(सोलह) किसी जांच मे संपूर्ण साक्ष्य को या उसके किसी भाग को सुनने तथा अभिलिखित करने के पश्चात जब भी जांच करने वाले प्राधिकारी की अधिकारिता समाप्त हो जाए और उसके स्थान पर कोई अन्य ऐसा जांच अधिकारी पद ग्रहण कर ले जिसे ऐसी अधिकारिता प्राप्त हो और जो उसका प्रयोग करता हो तो इस प्रकार स्थान ग्रहण करने वाला उत्तरवर्ती जांच अधिकारी अपने पूर्ववर्ती द्वारा अभिलिखित अथवा भागतः अपने पूर्ववर्ती द्वारा और भागतः स्वयं द्वारा अभिलिखित साक्ष्य के आधार पर आगे कार्यवाई कर सकेगा;

विनियम 7

परन्तु यदि उत्तरवर्ती जांच प्राधिकारी की यह राय हो कि उन साक्षियों में से जिनका साक्ष्य पहले ही अभिलिखित किया जा चुका है, किसी की आगे परीक्षा न्याय के हित में आवश्यक है तो वह ऐसे किसी भी साक्षी को यथा पूर्व उपबंधित रूप में पुनः बुला सकेगा तथा उसकी परीक्षा, प्रतिपरीक्षा और पुनःपरीक्षा कर सकेगा।

विनियम 7

(सत्रह) यह नियम निम्नलिखित में लागू नहीं होगा, अर्थात् निम्न मामलों में जांच करने की आवश्यकता नहीं है:-

(क) जहाँ किसी व्यक्ति पर ऐसे आचरण के आधार पर कोई दीर्घ शास्ति अधिरोपित की जाती है जिसके लिए आपराधिक आरोप पर उसे सिद्धदोष ठहराया गया है, या

(ख) जहां अनुशासनिक प्राधिकारी का ऐसे कारणों से जो उसके द्वारा लिखित रूप में अभिलिखित किये जायेंगे, यह समाधान हो जाता है कि इस नियमावली में उपबंधित रीति से जांच करना युक्तियुक्त रूप से व्यवहारिक नहीं है, या

(ग) जहां राज्यपाल का यह समाधान हो जाता है कि राज्य की सुरक्षा के हित में इस नियमावली में उपबंधित रीति से जांच किया जाना समीचीन नहीं है।

Short Capsule : सेवानिवृत्त सरकारी सेवक जिनके विरुद्ध सतर्कता जांच चल रही हो,...

302 views • 1 day ago

Short Capsule : परिनिन्दा और चेतावनी में अन्तर - अनुशासनिक कार्यवाही

260 views • 2 days ago

Short Capsule : अवचार नामक लघु शास्ति क्या है? - अनुशासनिक कार्यवाही

124 views • 3 days ago

Short Capsule : शास्तियां एवं दीर्घ दण्ड देने की प्रक्रिया - अनुशासनिक कार्यवाही

138 views • 4 days ago

Short Capsule : क्या जाँच के लिए, जाँच अधिकारी नामित किया जाना आवश्यक है? -...

213 views • 5 days ago

Short Capsule : निलम्बित कर्मचारी की मृत्यु

439 views • 6 days ago

Rajesh Mehtani

@rajeshmehtani8247 2.23K subscribers 332 videos

More about this channel >

Customise channel | Manage videos

HOME | VIDEOS | LIVE | PLAYLISTS | COMMUNITY | CHANNELS | ABOUT

Short Capsule : सेवानिवृत्त सरकारी सेवक जिनके विरुद्ध सतर्कता जांच ...

200 views • 11 hours ago

सेवानिवृत्त सरकारी सेवक जिनके विरुद्ध सतर्कता जांच चल रही हो, अन्तिम पेंशन का भुगतान